3 फरवरी, 2010 को 1715 बजे सम्मेलन कक्ष, 6, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान द्वारा एन.आर.ई.जी.ए. (नरेगा) के संबंध में प्रकाशित पुस्तक के विमोचन के अवसर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी का अभिभाषण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 और छह राज्यों में इसके कार्यान्वयन के संबंध में लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का विमोचन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी सरकार के लिए एन आर ई जी ए (नरेगा) के संबंध में मूल्यांकन, निदान, सुधारात्मक कार्रवाई तथा क्षमता निर्माण करने के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

यह अधिनियम अपने आप में देश में शासन-व्यवस्था के स्वरूप को बदलने वाला रहा है। इसने पहली बार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर इतने बड़े पैमाने पर रोजगार की गारंटी देने की दिशा में अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। हम इन आंकडों पर विचार कर सकते हैं:-

- वर्ष 2008-09 में, लगभग 45 मिलियन परिवारों के लिए रोज़गार उपलब्ध कराया गया है और रोजगार के 2160 मिलियन मानव-दिवस सृजित किये गए हैं;
- वर्ष 2008-09 में भुगतान की गई औसत मज़दूरी बढ़ कर 84 रुपये हो गई है, जो वर्ष 2006-07 की तुलना में लगभग एक तिहाई की वृद्धि है;
- वर्ष 2008-09 में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सहभागिता 55 प्रतिशत रही है। महिला कार्यबल की सहभागिता ने एक तिहाई की सांविधिक न्यूनतम आवश्यकता को भी पार कर लिया है और यह बढ़ कर 48 प्रतिशत हो गई है।

मजदूरी आधारित रोजगार को सुधारने के प्राथमिक उद्देश्य को कुछ सफलता के साथ हासिल कर लिया गया है। इसके साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, सभी समुदायों में साम्य और पुरूष और महिला के मध्य समानता के संवर्धन, आर्थिक समावेशन तथा बीमा उपलब्धता और बेहतर शासन के लिए ग्रामीण स्तर पर प्रौद्योगिकी के प्रयोग के सहायक लक्ष्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। सरकार इन उद्देश्यों की सफलता को सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है और कार्य निष्पादन के किसी भी आकलन में ये बातें शामिल होनी चाहिए।

राष्ट्र के रूप में, शहरी-ग्रामीण, स्त्री-पुरूष, जाति-जनजाति भेद, समुदाय और धर्म संबंधी भेदों को समाप्त करने के संविधान-निर्माताओं के वचन को हमें पूरा करना है। इसके पीछे कल्पना यह है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय क्षमताओं का संवर्द्धन करने का प्रत्येक अवसर प्राप्त हो जिसके फलस्वरूप वह संतोषप्रद एवं गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) ग्रामीण नागरिकों को अपनी नियति स्वयं तय करने के लिए सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि विकास प्रक्रियाएं न केवल स्थाई हैं, बल्कि नागरिकों की आकांक्षाओं तथा इच्छाओं के अनुरूप भी हैं।

सभी कार्यक्रमों की भाँति, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन एक अनवरत प्रक्रिया है। इस कार्यक्रम के समर्थक अनेकानेक व्यक्तियों और संस्थाओं से इसमें सुधार के सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन और प्रचालन की दिशा में किए गए इस प्रकार के प्रत्येक योगदान से राष्ट्रीय समृद्धि तथा बड़ी संख्या में भारतीयों के कल्याण में योगदान मिलेगा। मुझे आशा है कि लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से भी ऐसा ही होगा।

मैं एक बार फिर से श्री अनिल शास्त्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस रिपोर्ट का विमोचन करने के लिए आमंत्रित किया।